



यू० पी० बैंक इम्प्लॉईज यूनियन

पंजीकरण संख्या-538

ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध

केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा-282002

पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा-282 001, मो: 09837472750

फोन/फैक्स: (नि०) 0562-4044383, E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com

परिपत्र संख्या : 2016-19/90/2017

दिनांक : 11.10.2017

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

आईबीए के साथ 03.10.2017 को आयोजित वार्तालाप

जैसा कि पूर्व में आपको अवगत कराया गया था आईबीए के साथ वेतन पुनरीक्षण के विषय में वार्तालाप का एक और दौर 03 अक्टूबर 2017 को हुआ। हम इस विषय में एआईबीईए के परिपत्र संख्या 28/29/2017/29 दिनांक 10.10.2017 का अनूदित सार आपकी सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

11वाँ द्विपक्षीय समझौता – आईबीए के साथ 03.10.2017 को हुई बातचीत

6.9.2017 को हुए विचार-विमर्श से आगे, विचार-विमर्श का एक और दौर हमारी 5 कामगार यूनियनों तथा आईबीए के मध्य 03.10.2017 को आयोजित किया गया।

विचार-विमर्श के इस दौर में, विभिन्न मुद्दों को उठाया गया था जैसे सेवा की दण्डस्वरूप स्वैच्छिक समाप्ति पर कर्मचारियों को पेंशन लाभ, स्वैच्छिक समाप्ति के आदेश के विरुद्ध प्रतिनिधित्व करने का अधिकार, तैनाती पर बाहर स्थानांतरित कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति, स्थानान्तरण के समय सामान स्थानांतरण के लिए दरों में सुधार, सभी कर्मचारियों के लिए बोनस, बैंकों में शामिल होने पर भूतपूर्व सैनिकों का भुगतान तथा निर्धारण, शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों के वाहन भत्ते में वृद्धि, अवकाश किराया छूट/चिकित्सा बीमा योजना के लिए परिवार की परिभाषा में सुधार, आश्रित की परिभाषा पर आय मानदंड सीमा में संशोधन, स्टाफ ऋणों में सुधार, त्यौहार अग्रिम, पेट्रोल लागत प्रतिपूर्ति योजना को शुरू करना, आदि।

इनमें से कुछ मुद्दों पर संभावित सहमति पर कार्य हो चुका है और इन पर आगे चर्चा करने की आवश्यकता है। कुछ मुद्दों पर, आईबीए अनुकूल रूप से इच्छुक नहीं थी। यह निर्णय लिया गया कि विचार-विमर्श का अगला दौर 24.10.2017 को वार्ता जारी रखने के लिए आयोजित किया जायेगा।

चूंकि हमारा वेतन संशोधन 1.11.2017 से देय है और वेतन पुनरीक्षण प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने के आईबीए के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, हमने जोर दिया कि आईबीए की पूर्ण नेगोशिएटिंग कमेटी की बैठक तुरंत बुलाई जानी चाहिए जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे वेतन में वृद्धि की हमारी माँग, महंगाई भत्ता विलय बिन्दु, भत्तों में सुधार और वित्तीय प्रभाव से जुड़े अन्य सभी मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए।

आईबीए ने सहमति दी कि यह बैठक इस माह के अन्त तक आयोजित की जायेगी।

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ड०. सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री